



Human Trafficking



गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS



मानव तस्करी

The legal framework against Human Trafficking is strengthened by the New Criminal Laws

- BNS 2023 has a victim-centric approach to women and child trafficking.
- Newly-introduced offence of organised crime in BNS 2023, includes trafficking of a person, and human trafficking for prostitution or ransom, and provides stringent punishment.
- The act of buying a child for prostitution has been dealt with enhanced punishment with mandatory minimum punishment of 7 years extendable to 14 years.
- The offence of importation of persons from foreign country is made gender-neutral. It covers the importation of both boys under 18 years and girls under 21 years for the purpose of forced or seduced sexual exploitation.
- Beggary has been added in the expression 'exploitation' for the purpose of human trafficking.
- BNS prescribes enhanced punishment for a person indulging in habitual human trafficking.

सत्यमेव जयते



नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के विरुद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है

- बीएनएस 2023 में महिलाओं और बाल तस्करी के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण है।
- बीएनएस 2023 के तहत संगठित अपराध में नए शामिल किए गए अपराधों में किसी व्यक्ति की तस्करी, और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी शामिल है, और कड़ी सजा का प्रावधान है।
- वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें न्यूनतम 7 साल की अनिवार्य सजा है जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- विदेश से व्यक्तियों के आयात के अपराध को लिंग-तटस्थ बनाया गया है। इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के उद्देश्य से अठारह वर्ष से कम उम्र के लड़कों और इक्कीस वर्ष से कम उम्र की लड़कियों दोनों के आयात को शामिल किया गया है।
- मानव तस्करी के उद्देश्य से 'शोषण' अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है।
- बीएनएस में आदतन मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है।

सत्यमेव जयते

